UPPG010035062026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट), प्रतापगढ़।
पीठासीन अधिकारी– अंकिता दुबे ,एच 0 जे0 एस 0– UP–1713
अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 1335/2026

राहुल पटेल उम्र लगभग 23 वर्ष सुत बद्री प्रसाद पटेल निवासी ग्राम गोसाई का पुरवा पूरे धना, टिकरिया, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।

..आवेदक/अभियुक्त

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य
2. शिखा पटेल पुत्री गेंदालाल निवासी ग्राम गुलनार बाबागंज, थाना संग्रामगढ़, प्रतापगढ़

...अभियोगीगण

मु0 अ 0 सं0–63/2026
धारा– 69, 351(3)बी.एन.एस.
थाना–संग्रामगढ़, जनपद–प्रतापगढ़

दिनांक 19.06.2026

1. आवेदक/अभियुक्त **राहुल पटेल** की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०–63/2026, धारा–69, 351(3) बी.एन.एस., थाना–संग्रामगढ़, जिला–प्रतापगढ़ के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है।

2. **संक्षेप में अभियोजन** कथानक के अनुसार प्रार्थिनी शिखा पटेल पुत्री गेंदालाल निवासी ग्राम गुलनार बाबागंज, थाना संग्रामगढ़, प्रतापगढ़ की निवासिनी है। प्रार्थिनी के साथ पढ़ने वाला राहुल पटेल सुत बद्री प्रसाद पटेल नि०–गोसाई का पुरवा, धना टिकरिया, थाना संग्रामगढ़, जिला–प्रतापगढ़ में पढ़ता था जो प्रार्थिनी को शादी का झांसा देकर प्रार्थिनी के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाता रहा। प्रार्थिनी उसे जब शादी के लिए कहने लगी तो दिनांक 05.11.2025 को प्रार्थिनी को वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए पुनः शारीरिक सम्बन्ध बनाया। प्रार्थिनी की उम्र 20 वर्ष है। प्रार्थिनी अपने साथ हुये घटना के सम्बन्ध में आज दिनांक 10.04.2026 को थाने पर सूचना देने आयी हूं अन्त में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने की याचना की गयी है।

3. **अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र** में यह आधार लिया गया है कि प्रार्थी को थाना संग्रामगढ़ की पुलिस प्रार्थी को गिरफ्तार करने के लिए तलाश रही है। शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करके नफा नाजायज वसूलना चाहती है जिस कारण प्रार्थी को यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई। पुलिस प्रार्थी को गिरफ्तार करके मारपीट कर क्षति पहुंचाना चाहती है तथा प्रार्थी की सामाजिक छवि कलंकित करना चाहती है। उपरोक्त मुकदमें में हिरासती पूंछताछ की आवश्यकता भी नहीं है और न ही कोई बरामदगी होना है। प्रार्थी का उपरोक्त मुकदमें में यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है इस अग्रिम

Digitally signed by ANKITA DUBEY
Date: 2026.06.19 14:00:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जमानत प्रार्थना पत्र के अलावा अन्य किसी भी न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में न तो प्रस्तुत हुआ है और न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है। कथित घटना कानूनी राय मशबिरा लेकर लगभग 5 माह बाद काफी विलम्ब से लिखाई गई है विलम्ब होने का कोई स्पष्टीकरण वादी मुकदमा / अभियोजन पक्ष के पास नहीं है। प्रार्थी कभी का साजयाफ्ता नहीं है और न ही कोई आपराधिक इतिहास है। अतः अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में यह कथन किया गया कि अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। फर्जी तरीके उसे अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी/ अभियुक्त कभी का सजायाप्ता नही है और न हो उसका कोई आपराधिक इतिहास है और जमानत दिये जाने का निवेदन किया गया है।

5. **जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)** द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त पर वादिनी मुकदमा शिखा पटेल को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने व शादी का दबाव बनाने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पुनः शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है। अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किया गया तो वह पुनः समान प्रकृति का अपराध कारित करेगा और साक्षियों को प्रभावित कर सकता है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

8. **प्रथम सूचना रिपोर्ट व केस डायरी का अवलोकन किया** इससे स्पष्ट है कि अभियुक्त पर वादिनी मुकदमा शिखा पटेल को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने व शादी का दबाव बनाने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पुनः शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है। पीडिता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बी.एन.एस. में मुख्य रूप से यह कहा गया है कि अभियुक्त एक वर्ष पूर्व से शादी का झांसा देकर बार–बार उसके साथ संबंध बनाता था। अपने बयान अन्तर्गत धारा–183 बी.एन.एस. में कथन किया गया है कि वह 2 वर्ष से राहुल से बातचीत कर रही है। उसने शादी के लिए पीड़िता से पूछा था, वह अभियुक्त से शादी करना चाहती है, किन्तु अभियुक्त राहुल के माता–पिता पीड़िता के साथ शादी कराने के लिए तैयार नहीं हैं। अभियुक्त पर पीड़िता के साथ शादी का झांसा देकर संबंध बनाने तथा वीडियो वायरल करने की धमकी दिया जाना कहा गया है। अपराध गंभीर प्रकृति का है।

8. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जय प्रकाश सिंह बनाम स्टेट आफ बिहार, ए.आई.आर. 2012 सुप्रीम कोर्ट 1676 में निम्न विधि प्रतिपादित की गयी है:–

"13. There is no substantial difference between Section 438 and 439 Cr.P.C. so far as appreciation of the case as to whether or not a bail is to be granted, is concerned. However, neither anticipatory bail nor regular bail can be granted as a matter of rule. The anticipatory bail being an extraordinary privilege should be granted only in exceptional cases. The judicial discreation conferred upon the court has to be properly

exercised after proper application of mind to decide whether it is a fit case for grant of anticipatory bail.

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितयों व मामले की गम्भीरता व पीड़िता के बयान अंतर्गत धारा 180 व 183 बी.एन.एस.एस को देखते हुये अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **राहुल पटेल** की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०–63/2026,धारा–69, 351(3) बी.एन.एस.,थाना–संग्रामगढ़, जिला–प्रतापगढ़ में प्रस्तुत **अग्रिम** जमानत प्रार्थना पत्र **खारिज** किया जाता है।

दिनांक–19.06.2026

(**अंकिता दुबे**)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट)/
प्रतापगढ़।

विकाश प्रभाकर/–स्टेनो